28

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3964–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–11–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार रतलाम जिला रतलाम प्रकरण कमांक 1/अ–76/2014–15.

.....

प्रबंधक, डी.पी.वायर्स प्रा0लि0
16–18 ए औद्योगिक क्षेत्र रतलाम म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

सुश्री ममता सोनी, अभिभाषक–आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार रतलाम जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–11–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, रतलाम द्वारा कलेक्टर जिला रतलाम को आवेदक से रुपये 31,98,118/– वसूल करने संबंधी पत्र लिखा गया । कलेक्टर द्वारा उक्त पत्र के तारतम्य में तहसीलदार को उपरोक्त राशि आवेदक से वसूल करने की कार्यवाही बावत् पत्र लिखा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–76/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । इस बीच आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर दी गई और प्रकरण तहसील न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को भेजा गया । माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 15–11–16 को आदेश पारित कर आवेदक का वाहन कार्यालय में खड़े किये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा सूचना पत्र की विधिवत् तामीली आवेदक पर नहीं कराई गई है ऐसी स्थिति में कुर्की की कार्यवाही की जाना विधि विरूद्ध है ।

(2) तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक पर सूचना पत्र तामील कराये और बिना संपत्ति कुर्क किये नीलामी की कार्यवाही की जा रही है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7–10–2015 की जानकारी होने के बावजूद भी दुषित प्रकिया अपनाकर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) तहसीलदार द्वारा संहिता की अनुसूची 1 नियम 19 लगायत 24 का बिना पालन किये कार्यवाही की जा रही है जो कि अवैधानिक है ।

4/ आपत्तिकर्ता को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 15–11–2016 को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका कमांक 5824/2015 दिनांक 6–10–2016 को निरस्त की गई है अतः माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् वसूली की कार्यवाही की जा रही है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में उपलब्ध नहीं है इसलिये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार रतलाम जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–11–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर